झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 30 पौष, 1938 [श0] को 20 जनवरी, 2017 [ई0]

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
117– श्रनि–	08	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	पोलटेकनीक कॉलेज को चालू कराना।	श्रम नियोजन	13.01.2017
118– स–	45	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	~~क्लब~~ नीति को बनाना	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
119– रा–	02	श्रीमती बिमला प्रधान	गाँवों को सीमा में लाना	राजस्व निबंधन	07.01.2017
120– रा–	08	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	स्टाम्प आपूर्ति एवं सूची उपलब्ध करना।	राजस्व निबंधन	13.01.2017
121– रा–	07	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	खतियान ऑनलाईन कराना।	राजस्व निबंधन	13.01.2017
122– स–	43	रामकुमार पाहन	अस्पताल बनाना	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
123– श्रनि–	04	श्री साधु चरण महतो	शिक्षण कार्य प्रारंभ कराना।	श्रम नियोजन	13.01.2017
124– रा–	06	श्रीमती जोबा मांझी	मैनुअल लगान रसीद काटना।	राजस्व निबंधन	12.01.2017
125– स–	41	श्री कुणाल षडंगी	निर्णय लेना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा	13.01.2017

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
126— स—	04	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
127— स—	26	श्री फूलचंद मंडल	नियुक्ति करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
128— विधि—	01	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	शिविर का आयोजन करना।	विधि	12.01.2017
129— स—	03	श्री दशरथ गागराई	ब्लड बैंक, चालू कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
130— स—	25	श्री फूलचंद मंडल	निर्माण कार्य पूर्ण कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
131— स—	09	श्री आलमगीर आलम	प्रशिक्षण प्रारंभ कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
132— श्रनि—	03	श्री भानु प्रताप शाही	पढ़ाई की व्यवस्था कराना।	श्रम नियोजन	13.01.2017
133— रा—	05	श्री अमित कुमार	अवैध बंदोबस्ती रद्द कराना।	राजस्व निबंधन	12.01.2017
134— स—	18	श्री भानु प्रताप शाही	दोषी एजेन्सी एवं संवेदक पर कार्रवाई	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
135— स—	06	श्री प्रदीप यादव	अस्पताल भवनों का निर्माण	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
136— स—	38	श्री अमित कुमार मंडल	राशि का प्रावधान कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
137— स—	36	श्री राधाकृष्ण किशोर	लिफ्ट को चालू कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
138— स—	13	श्री नागेन्द्र महतो	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2017
139— स—	42	डॉ0 अनिल मुर्मू	चिकित्सा सेवा प्रारंभ कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
140— स—	14	श्री अशोक कुमार	चिकित्सकों का पदस्थापन एवं उपकरणो की व्यवस्था।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2017
141— स—	20	श्री साधु चरण महतो	निर्माण कार्य पूर्ण कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
142— स—	15	श्री आलमगीर आलम	स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2017
143— श्रणि—	02	श्री जानकी प्रसाद यादव	आई0टी0आई0 केन्द्र खोलना।	श्रम नियोजन	13.01.2017

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
144— स—	46	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
145— स—	12	श्री नागेन्द्र महतो	परिवर्तित करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2017
146— स—	49	श्री शशि भूषण सामाड़	रक्त अधिकोष की स्थापना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
147— रा—	03	श्री दशरथ गागराई	दखल दिलाना।	राजस्व निबंधन	12.01.2017
148— रा—	11	श्री रामकुमार पाहन	अमिन का स्थानान्तरण।	राजस्व निबंधन	13.01.2017
149— स—	01	श्री योगेन्द्र प्रसाद	अस्पताल चालू कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	07.01.2017
150— रा—	09	श्री अरूप चटर्जी	अंचल का सृजन	राजस्व निबंधन	13.01.2017
151— श्रणि—	06	श्री अमित कुमार मंडल	प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।	श्रम नियोजन	13.01.2017
152— स—	29	श्री जानकी प्रसाद यादव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
153— स—	05	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
154— स—	27	श्रीमती जोबा मांझी	भुगतान नियमित कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
155— स—	37	श्री ताला मराण्डी	सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
156— स—	02	श्री जगरनाथ महतो	दैनिक कर्मी का वेतन भुगतान कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	07.01.2017
157— स—	19	श्री अनन्त कुमार ओझा	कर्मी एवं चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
158— स—	44	डॉ0 अनिल मुर्मू	चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
159— रा—	04	श्री अमित कुमार	अंचल निरीक्षक का पदस्थापन।	राजस्व निबंधन	12.01.2017
160— स—	08	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	सुविधा बहाल करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
161— स—	35	श्री ताला मराण्डी	स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017

(कृ0पृ0उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
162– विधि– 02		श्रीमती बिमला प्रधान	सूचना उपलब्ध कराना।	विधि	13.01.2017
163– स– 30		श्री राज सिन्हा	सदर अस्पताल खोलना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	13.01.2017
164– रा– 01		श्री जगरनाथ महतो	रैयत को दखल दिलाना।	राजस्व निबंधन	07.01.2017

राँची,
दिनांक– 20 जनवरी, 2017 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्रश्न– 07/2016–697/वि0स0, रांची, दिनांक– 17/01/17

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 17.1.17
(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्रश्न– 07/2016–697/वि0स0, रांची, दिनांक– 17/01/17

प्रतिः– मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 17.1.17
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्रश्न– 07/2016–697./वि0स0, रांची, दिनांक– 17/01/17

प्रतिः– कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा, प्रश्न शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 17.1.17
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष/–

17.01.17

(117)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के अष्टम (बजट) सत्र में दिनांक 20.01.2017 को श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न श्रनि–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग से उत्तर प्राप्त

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा–रंका विधान सभा अन्तर्गत गढ़वा के हॅसकेर में 07 वर्षों से महिला पोलिटेकनिक कॉलेज का भवन बनकर तैयार है;	– गढ़वा में महिला पोलिटेकनिक नहीं है। नव निर्मित भवन राजकीय पोलिटेकनिक दो वर्षों से बनकर तैयार है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित कॉलेज में पठन–पाठन का सत्र शुरू नहीं होने से गढ़वा की छात्राएँ तकनीकी शिक्षा से वंचित हो रही है। एवं भवन भी जर्जर होते जा रहे है;	– अस्वीकारात्मक तकनीकी संस्थानों में राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के अधार पर नामांकन की जाती है, जिसमें गढ़वा के छात्र–छात्राए भी भाग लेते है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वितीय वर्ष में खण्ड (1) में वर्णित महिला पोलिटेकनिक कॉलेज को चालु कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक,	– राजकीय पोलिटेकनिक गढ़वा को PPP mode पर संचालन हेतु पार्टनर चयन की प्रक्रिया जारी था। वर्तमान में पार्टनर का चयन कर LOI प्रदान कर दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2017–18 से नामांकन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01 उ0त0/वि0स0–.....05/17 – 130 /राँची, दिनांक– 19.01.17

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 412 दिनांक 13.01.2017 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/01/2096

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

118

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20-01-2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स0–45 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में राष्ट्रीय ब्लड नीति झारखण्ड में लागू नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। (झारखण्ड में राष्ट्रीय ब्लड नीति लागू है।)
2-	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय ब्लड नीति नहीं होने से नागरिकों को आवश्यकतानुसार और सुरक्षित रक्त आपूर्ति संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि उक्त नीति के अभाव में नागरिकों को असमय जान गंवानी पड़ी है ;	अस्वीकारात्मक।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में राष्ट्रीय ब्लड नीति को लागू करने की दिशा में कोई कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-07/17 –31(15) राँची, दिनांक– 19-01-17
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 410 दिनांक- 13-01-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17
सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्रीमतीविमला प्रधान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0–02, प्रश्नोत्तर :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0	श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड (पूर्ववर्ती बिहार) का 1928 से उड़ीसा के साथ सीमा विवाद चल रहा है।	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि 1927–28 के सर्वे में इंडियन सर्वे इस्टीच्यूट ने कोरिया नाले को सीमा निर्धारित कर इसे स्वीकृत बिहार में दर्शाया था और झारखण्ड का दावा सही माना गया था।	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड के 53 गाँवों को अपने सीमा में लाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	"विभागीय पत्र संख्या–9/सर्वे ध्यानाकर्षण प्र0–27/12–2016/सर्वे, दिनांक–21.08.2012 के द्वारा झारखण्ड, एवं उड़ीसा के बीच अन्तर्राज्यीय सीमा–विवाद के निराकरण के क्रम में"संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण/सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण दल का गठन किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक–227/सर्वे, दिनांक–06.09.2012, जो प्रधान सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर को सम्बोधित है, जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य के सर्वेक्षण दल गठित किये जाने की सूचना दी गई थी। साथ ही संयुक्त सर्वेक्षण हेतु अपनी सहमति देते हुए दल को उक्त कार्य (सर्वेक्षण कार्य) हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था, ताकि संयुक्त सर्वेक्षण कार्य सम्भव हो सके। पुनः विभागीय पत्रांक–58/नि0रा0, दिनांक–11.03.2015 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर से सीमा विवाद हल हेतु सर्वेक्षण दल गठित करने एवं संयुक्त सर्वेक्षण हेतु तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया था। सम्प्रति सूचना अप्राप्त है।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02 / भू0अ0परि0नि0(तारां0)01 / 2017–.....51.....रा0, राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–44 / वि0स0 दिनांक– 07.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/17

उप सचिव–सह–उप निदेशक

13/नि॰ (विधानसभा) 01/17.....

(120)

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक 20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–08 का उत्तर सामग्री

क्र॰	प्रश्न	उत्तर
	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी मा॰स॰वि॰स॰	श्री अमर कुमार बाउरी, मा॰ मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के राजधानी राँची सहित गिरिडीह, धनबाद हजारीबाग, देवघर, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका के अलावे कई अन्य जिले में वर्ष में लगभग छः माह स्टाम्प पेपर की कमी रहने के कारण अन्य जिलों से उक्त स्टाम्प की कालाबाजारी बिचौलियों द्वारा खुलेआम हो रही है,	अस्वीकारात्मक मुद्रांक जिस जिले से बिक्री हुए है, उसी जिले में इनका प्रयोग विधि मान्य है। अन्य जिलों के मुद्रांक का प्रयोग विधि सम्मत नहीं है। मुद्रांक की उपलब्धता सुचारू रूप से करने के लिए सामान्य मुद्रांक के अतिरिक्त वैकल्पिक तौर पर ई–मुद्रांक प्राधिकृत बैकों एवं डाकघरों द्वारा निर्गत करने की व्यवस्था भी वर्ष 2014 से सम्पूर्ण राज्य में की गई है। इसके अतिरिक्त ई–मुद्रांक ऑन–लाईन पद्धति से निबंधन कार्यालयों में भी प्राप्त करने की व्यवस्था की जा चुकी है। खण्ड–01 में वर्णित जिलों में मात्र उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–16, दिनांक–17.01.17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके कोषागार में कुछ अधिमान के मुद्रांकों की कमी है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1155/नि॰ दिनांक–21.12.16 द्वारा मुद्रांकों का आवंटन देवघर को किया जा चुका है। जिसका उठाव उनके द्वारा लंबित है। मुद्रांकों की बिक्री सुचारू रूप से संचालित करने तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए समय–समय पर उपायुक्तों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। वर्त्तमान में मुद्रांकों की कालाबाजारी से संबंधित प्रतिवेदित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित स्टाम्प के कमी के कारण उक्त जिलों में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रही है, जिसका शिकार आम लोगों को होना पड़ रहा है,	अस्वीकारात्मक इस प्रकार की कोई भी सूचना प्रतिवेदित नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीकृत मुद्रांक भंडार राँची में होने के बावजूद जब राँची में आये दिन उक्त स्टाम्प की कमी रहती है तो अन्य जिलों में उक्त स्टाम्प की नियमित आपूर्ति असंभव है,	अस्वीकारात्मक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सभी जिलों में ई–स्टाम्प की बिक्री जारी है। जिससे किसी प्रकार का स्टाम्प का अभाव नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में 03 (तीन) वित्तीय वर्षों से दिसम्बर, 2016 तक खण्ड–01 में वर्णित जिलों में की गई राशि की स्टाम्प आपूर्ति जिलावार सूची उपलब्ध कराने का विचार रखती है यदि हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	विगत तीन वित्तीय वर्षो में खण्ड–01 में वर्णित जिलों में स्टाम्पों की आपूर्त्ति से संबंधित जिलावार सूची संलग्न है। **सम्प्रति केन्द्रीय मुद्रांक भण्डार में गैर–न्यायिक श्रेणी के 1221488000/–(एक अरब बाईस करोड़ चौदह लाख अठ्ठासी हजार रू॰) मूल्य के मुद्रांक तथा न्यायिक श्रेणी के 5393389750/(पाँच अरब उनचालीस करोड़ तेतीस लाख नवासी हजार सात सौ पचास रू॰) मूल्य के मुदांक उपलब्ध है।** कोषागारों से मुद्रांकों की अधियाचना के आधार पर सभी जिलों में मुद्रांकों की आपूर्त्ति अबाध रूप से की जा रही है।

ज्ञापांक :–13 नि(विधानसभा) 01/17 – 44/A

राँची, दिनांक: 19-1-17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या–342, दिनांक–13.01.17 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

19.01.17

विभिन्न जिलों में कुल आपूर्ति किए गए मुद्रांकों का कुल मूल्य								
धनबाद								
Year	**Non-Judicial**	**Revenue**	**Judicial Stamp**	**Advocate Welfare**	**Special Adhesive**	**Court Fee Adhesive**	**Share Transfer**	**Total**
13–14	316505000	2560000	55000000	30000000	4240000	2390000	144000	410839000
14–15	241616000	1280000	31700000	0	7040000	1560000	0	283196000
15–16	13100000	640000	11600000	0	0	560000	0	25900000
16–17	5590000	0	0	0	0	1160000	0	6750000

रांची							
Year	**Non-Judicial**	**Revenue**	**Judicial Stamp**	**Advocate Welfare**	**Special Adhesive**	**Court Fee Adhesive**	**Total**
13–14	553150000	0	6000000	27000000	0	3560000	589710000
14–15	546466000	2560000	250000	0	2200000	10760000	562236000
15–16	363795500	3200000	1000000	0	0	4050000	372045500
16–17	264610000	48000	13840000	0	1800000	6855000	287153000

गिरिडीह							
Year	**Non-Judicial**	**Revenue**	**Judicial Stamp**	**Advocate Welfare**	**Special Adhesive**	**Court Fee Adhesive**	**Total**
13–14	226200000	1600000	30200000	3000000	0	0	261000000
14–15	94165000	320000	5500000	0	2000000	0	101985000
15–16	106060000	640000	0	27000000	0	2560000	136260000
16–17	21440000	32000	5600000	0	0	1100000	28172000

बोकारो						
Year	**Non-Judicial**	**Revenue**	**Advocate Welfare**	**Special Adhesive**	**Court Fee Adhesive**	**Total**
13–14	401810000	2880000	5000000	47000000	5000000	461690000
14–15	41950000	0	0	0	0	41950000
15–16	41200000	1280000	20250000	0	0	62730000
16–17	0	0	0	0	0	0

हजारीबाग									
Year	**Non-Judicial**	**Revenue**	**Judicial Stamp**	**Advocate Welfare**	**Special Adhesive**	**Court Fee Adhesive**	**Insurance**	**Copy Stamp**	**Total**
13–14	276150000	1280000	5800000	34000000	1800000	1660000	8880000	0	329570000
14–15	267779000	2560000	24000000	29000000	0	4536000	3420000	7500	331302500
15–16	49240000	0	25000000	0	0	2430000	0	0	76670000
16–17	239663000	688000	16800000	0	4040000	9090000	0	0	270281000

देवघर							
Year	**Non-Judicial**	**Revenue**	**Judicial Stamp**	**Advocate Welfare**	**Special Adhesive**	**Court Fee Adhesive**	**Total**
13–14	65100000	1600000	15750000	2000000	0	19500000	103950000
14–15	0	0	31700000	0	9200000	0	40900000
15–16	1025000	1600000	11600000	27000000	0	0	41225000
16–17	10145000	32000	0	0	0	0	10177000

जमशेदपुर						
Year	**Non-Judicial**	**Revenue**	**Judicial Stamp**	**Advocate Welfare**	**Court Fee Adhesive**	**Total**
13–14	556750000	3200000	0	3000000	4500000	567450000
14–15	0	0	31700000	0	0	31700000
15–16	0	0	11600000	20250000	0	31850000
16–17	47475000	32000	20000000	0	14900000	82407000

दुमका					
Year	**Non-Judicial**	**Revenue**	**Advocate Welfare**	**Court Fee Adhesive**	**Total**
13–14	3500000	640000	3000000	1100000	8240000
14–15	0	0	0		0
15–16	172600000	0	40500000		213100000
16–17	0	0	0		0

(12)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0–07, प्रश्नोत्तर :–

क्र0 सं0	प्रश्न	क्र0 सं0	उत्तर
	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0		श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पुराने सर्वे के स्थान पर 1985 में किए गए सर्वे के आधार पर पलामू जिला में सभी खतियान आनलाईन किया जा रहा है।	1.	स्वीकारात्मक। इस जिला में हाल सर्वे (R.S) के खतियान यथा अंचल हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज एवं पीपरा तथा अंचल पण्ड़वा के 4 मौजों एवं सतबरवा अंचल के हल्का संख्या–06 का 12 मौजों (जो अधिसूचित था) के खतियानों को ऑनलाईन किया गया है। शेष अंचलों का पुराना सर्वे (C.S) के खतियान का ऑनलाईन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि पुराने सर्वे में हुई त्रुटि के निराकरण हेतु दफा 87 के तहत अधिकार सर्वे ऑफिस में आवेदन आमंत्रित किया गया था।	2.	बंन्दोबस्त न्यायालय में हाल सर्वे (R.S) में अंचल हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज हरिहरगंज एवं पीपरा के धारा 87 के तहत कुल 24,529 आवेदन पत्र प्राप्त है।
3.	क्या यह बात सही है कि वगेर आवेदन पर सुनवाई किए नए शिरे से खतियान आनलाईन किया जा रहा है।	3.	पलामू जिले के अंतर्गत कुल 19 अंचलो में से हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज एवं पीपरा के सभी ग्रामों तथा सतबरवा के 12 ग्राम एवं पण्डवा के 04 ग्रामों का सर्वे खतियान धारा 89 में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के पश्चात् अंतिम प्रकाशन [धारा 83(II) एवं धारा 84(II) में अधिसूचना के उपरांत] जिला अभिलेखागार में जमा करा दिया गया है, जिसका जिला राजस्व से ऑन लाईन किया गया है। खतियान के अंतिम प्रकाशन के पश्चात अंतिम उक्त ग्रामों से धारा 87 के अंतर्गत रैयतो द्वारा कुल 26610 आवेदन (वाद पत्र) दायर किए गए है, जिसपर पण्डवा अंचल के कुल 2081 वादो की सुनवाई की जा रही है। शेष 24529 मामले विचाराधीन है। वादों के निर्णय के आलोक में ऑन लाईन सर्वे खतियान में संशोधन किया जा सकता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार त्रुटी सुधार कराकर खतियान आनलाईन कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	विभागीय पत्रांक–35/नि0रा0, दिनांक–13.01.2017 द्वारा दिनांक–16.01.2017 से दिनांक–31.01.2017 तक शिविर लगाकर ऑन लाईन त्रुटी सुधार हेतु आदेश दिया गया है तथा उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–99 दिनांक–18.01.2017 के अनुसार प्रकाशित कर आपत्ति प्राप्त की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02 / भू0अ0परि0नि0(तारां0)02 / 2017–...52/R... रा0, राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–351 / वि0स0 दिनांक–13.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/17
उप सचिव–सह–उप निदेशक

122

श्री राम कुमार पाहन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 43 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकुम प्रखण्ड के टाटीसिलवे औद्योगिक क्षेत्र में सघन जनसंख्या निवास करती है जहॉ एक मात्र उप स्वास्थ्य केन्द्र टाटीसिलवे कार्यरत है जिसमें मात्र चार ए0एन0एम0 पदस्थापित है ;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में छोटे बड़े कारखाना के चालू रहने के कारण बड़ी गाड़ियों की आवागमन उक्त क्षेत्र में होने से हादसा/सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ;		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नामकुम के अभिलेखों के अनुसार हादसा/सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है । वर्ष 2015 में कुल 126 दुर्घटनाग्रस्त लोगों तथा वर्ष 2016 में 117 दुर्घटनाग्रस्त लोगों का का ईलाज किया गया है । विस्तृत जानकारी हेतु परिवहन विभाग से प्रतिवेदन की मॉग विभागीय पत्रांक– 147 दिनांक 19.01.17 द्वारा की गई है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सौ शय्यावाली सरकारी अस्पताल बनाने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?		आई0पी0एच0एस0 मानक के मापदण्ड के आधार पर 100 शय्यावाले अस्पताल की स्थापना के लिए निर्धारित जनसंख्या के मापदण्ड को टाटीसिलवे पूर्ण नहीं करता है। टाटीसिलवे के प्रखण्ड मुख्यालय नामकुम में 30 शय्यावाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है । जहॉ तक उक्त क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं का प्रश्न है तो टाटीसिलवे से मात्र 12 कि0मी0 की दूरी पर राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स तथा लगभग इतनी ही दूरी पर सदर अस्पताल, राँची भी अवस्थित है, जिसमें आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 18/17– 166 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 408/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

(123) BG 19/01/2017

श्री साधु चरण महतो, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–04 का उत्तर सामग्री –

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री साधु चरण महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावॉ जिला के चांडिल में एक आई0टी0आई0 भवन बनकर तैयार है, पर अब तक शिक्षण / प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–"1" में वर्णित स्थल में अनेक छोटी बडी कम्पनी स्थापित है, परन्तु इन कम्पनियों में स्थानीय युवक / युवतियों को प्रशिक्षण के अभाव में नौकारी नहीं मिल पा रही है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त आई0टी0आई0 कॉलेज में वर्तमान सत्र से ही प्रशिक्षण / प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरायकेला–खरसावॉ जिला के चांडिल में एक औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने की योजना है।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–05/2017– BG रॉची, दिनांक :– 19/01/2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–343 दिनांक–13.01.2017 के प्रसंग में 250 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

124.

श्रीमती जोबा माँझी, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–06 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती जोबा माँझी, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत कोल्हान एवं पोड़ाहाट क्षेत्र के पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था में हुकुकनामा (Record of Rights) में अंकित शर्त्तों के मुताबिक ग्राम प्रधान यथा मानकी मुण्डाओं को रैयतों से मैनुअल (लगान रसीद) मालगुजारी काटने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है,		ग्राम प्रधान यथा मानकी–मुण्डाओं को लगान वसुलने/लगान रसीद काटने का उल्लेख हकूकनामा में अंकित है।
2.	क्या यह बात सही है कि राजस्व वसुली का मुण्डा 16% मानकी 10% तथा तहसीलदार 2% नाला (कमीशन) लेने का हक है,		आंशिक अस्वीकारात्मक। हकूकनामा में अंकित शर्त्तों के अनुसार राजस्व वसूली की राशि से कमिशन लेने का हक है। गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–22, दिनांक–06.05.2004 के द्वारा नाला (कमीशन) बंद कर दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार क दिशा निर्देश के फलस्वरूप लगान रसीद (ऑन लाइन) काटने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है,		खतियान की ऑन लाईन प्रविष्टि हो चुकी है। लगान वसूली ऑन लाईन किया जाना है, जिसके लिये मानकी मुण्डा एवं प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, तब तक मैनुअल लगान रसीद उनके द्वारा निर्गत किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में पुनः मानकी मुण्डाओं को ही मैनुअल लगान रसीद काटने का अधिकार देना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		मानकी, मुण्डा एवं संबंधित ग्राम प्रधानों को ऑन लाईन लगान रसीद काटने का प्रशिक्षण एवं टेबलेट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–6/वि.स. (तारां)–10/2017...280...(6)/रा., राँची, दिनांक–19-01-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–264/वि.स., दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17
सरकार के संयुक्त सचिव

Computer/D/All folder/Vidhan Sabha-16/Manoj

125

श्री कुणाल षड़ंगी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.17 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–41 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कुणाल षड़ंगी, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के किसी भी अस्पताल में अंगदान (Organ Donation) की व्यवस्था नहीं होने से जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में अंगदान हेतु झारखण्ड राज्य में कोई अस्पताल निबंधित नहीं है, परन्तु Live Donor एवं Live Recipient के गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु दो निजी अस्पताल क्रमशः Medanta Hospital, Irba, Ranchi एवं Bhagwan Mahavir Medica Superspeciality Hospital, Ranchi तथा Cornea Transplantation हेतु कुल छः अस्पताल क्रमशः Jamshedpur Eye Hospital, Kashyap Memorial Eye Hospital, Ranchi, RIMS, Ranchi, Dristi Eye Bank (PMCH, Dhanbad), Bokaro General Hospital, Bokaro Steel Plant, Bokaro, Bihar Eye Bank Trust, Ranchi निबंधित है जिसका लाभ जरूरतमन्द लोगों को मिल रहा है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में झारखण्ड के अस्पतालों में अंगदान(Organ Donation) की व्यवस्था करने के लिए उचित निर्णय लेने का विचाार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भविष्य में अस्पतालों द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अंगदान हेतु निबंधन करने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–13 / वि0स0–07–01 / 2017 20(13) स्वा0 / राँची / दिनांकः– 19-01-2017

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 333 / वि0स0 दिनांक 13.01.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

19.1.17

(मनोज कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

श्री रबीन्द्रनाथ महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 04 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में फतेहपुर को आठ वर्ष पूर्व ही प्रखण्ड का दर्जा मिल गया है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में ठकक्र बंप्पा कुष्ठ ग्राम आश्रम में भाड़े के घर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है एवं संसाधन की कमी है जिस कारण मरीजों को परेशानी होती है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। उपलब्ध संसाधन से मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करायी जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि फतेहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण के लिए स्वीकृति मिलने के बावजूद भी अभी तक भवन का निर्माण नहीं हो पाया है ;		अस्वीकारात्मक। फतेहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण की योजना की स्वीकृति की कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रक्रियाधीन है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फतेहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण तथा स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका – 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 06/17– 165 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 322/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

127

श्री फूलचन्द मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.17 को सदन में पूछा जाने तारांकित
प्रश्न सं0–स–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचन्द मण्डल, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के विभिन्न स्वास्थ्य विभागों में चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, ड्रेसर, सफाई कर्मी तथा सुरक्षा प्रहरी की घोर कमी है ;	धनबाद जिलान्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य ईकाई में तृतीय एवं चतुर्थ पदों के विरूद्ध 407 स्वास्थ्य कर्मी वर्त्तमान में कार्यरत है। वर्त्तमान में सुरक्षा प्रहरी का कार्य होमगार्ड से लिया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कर्मियों की कमी के कारण जिले में स्वास्थ्य संस्थानों का काम प्रभावित होता है ;	वर्त्तमान में कार्यरत चिकित्सा कर्मी से स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से सम्पादित किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद जिले में जनसंख्या के अनुरूप स्वीकृत रिक्त पदों पर खण्ड–1 में वर्णित कर्मियों की नियुक्ति करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त पत्र के आलोक में रिक्त पदों का रोस्टर अनुमोदित कर अधियाचना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–15 / स्था0–07–03 / 2017 –32(15) स्वा0 / राँची / दिनांकः– 19-01-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 360 / वि0स0 दिनांक 13.01.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

19/1/17

(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।

(128)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य, झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–विधि–01 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पूरे राज्य के नागरिकों में विधि जागरूकता का अभाव है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जागरूकता नही रहने से आये दिन लोग विधि परामर्श लेने मुख्यालय आते रहते हैं ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रत्येक पंचायत में विधि जागरूकता शिविर का आयोजन कराने पर विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार अपनी अनुशंगी इकाईयों यथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अनुमण्डलीय विधिक सेवा प्राधिकार, कानूनी सहायता केन्द्र, पी0एल0भी0 के माध्यम से राज्य के सभी 24 जिलों में लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य करते आ रहे हैं। झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सालों भर पूरे राज्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। कानूनी सहायता केन्द्र भी जिलों के अनुमंडल, पंचायत/ग्राम स्तर, समुदायिक केन्द्रों में कार्य कर रहे हैं, जहाँ कानूनी सहायता के इच्छुक लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। यदि किसी खास पंचायत के लोगों अथवा दूसरों लोगों, जिनका विधिक सेवा प्राधिकार के संस्थानों तक पहुँच नहीं है वैसे स्थिति में उन पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पंचायत स्तर पर किया जा सकता है।राज्य में जागरूकता प्रोग्राम के लिए एक कैलेण्डर तैयार किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग

ज्ञापांक–बी0/विधि–वि0स0प्र0–01/2017– 138 /जे0, राँची, दिनांक– 18 जनवरी, 2017.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–261, दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

18/1/17

(दिनेश कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

(129)

श्री दशरथ गागराई, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20-01-2017
को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स0–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावॉ जिले के सदर अस्पताल में ब्लड बैंक के लिए भवन बनकर तैयार है ;	स्वीकारात्मक। संबंधित भवन का हस्तान्तरण कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, प0 सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा अबतक नहीं किया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि उपर वर्णित ब्लड बैंक अबतक चालू नहीं हो पाया है ;	स्वीकारात्मक। मानव संसाधन की नियुक्ति एवं आधारभूत संरचना (Infrastructure) परिपूर्ण होने तथा हस्तान्तरण होने के बाद ही चालू होगी।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरायकेला में ब्लड बैंक का चालू कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अगले वित्तीय वर्ष 2017– 18 में चालू किया जाना है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07- 06/17 –33 (15) राँची, दिनांक– 19-01-17
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 323 दिनांक– 13-01-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17.
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(130)

श्री फूलचन्द मंडल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 25 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अनतर्गत निर्माणाधीन 40 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालाडीह (पंचायत–बलियापुर पशिचम) एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 40 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अम्बोना मोड (पंचायत–मोरंगा) का निर्माण कार्य अभी तक अधुरा है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में उल्लेखित अधुरा निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर अविलम्ब चालु करवाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालाडीह (पंचायत–बलियापुर पश्चिम) एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अम्बोनना मोड़ (पंचायत–मोरंगा) का निर्माण उपायुक्त द्वारा चयनित एजेन्सी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद द्वारा विभागीय स्तर से कार्यान्वित की जा रही है। विभागीय स्तर से कराये गये कार्य पर रोक लगने के कारण कार्य अधूरा है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अवशेष कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर तैयार कर तकनीकि स्वीकृति के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। स्वीकृति के उपरान्त अवशेष कार्य को पूर्ण करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 10/17– 161 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–359/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

131

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.17 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत पाकुड़ प्रखण्ड के सोनाजोरी में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल के संचालन के लिए वर्ष–2010 में भवन का निर्माण कराया गया था ,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल, सोनाजोरी, पाकुड़ में अबतक ए0एन0एम0 प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल सोनाजोरी, पाकुड़ में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण कार्य अगले सत्र से प्रारम्भ कराने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–172 (21) दिनांक 09.12.2016 द्वारा कुल 18 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। झारखण्ड नर्सिंग नियमावली में कतिपय संशोधन प्रक्रियाधीन है। तदोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–10 / क्यू (वि0स0)–01–01 / 2017 9 (10) स्वा0 / राँची / दिनांकः– 19/1/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 325 दिनांक 13.01.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव।

(132) 85 19.01.17

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–03 का उत्तर सामग्री –

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि है गढवा जिला के नगर उटारी में आई0टी0आई0 कॉलेज को पी0पी0पी0 मोड अन्तर्गत रामचन्द्र चन्द्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट संचालन हेतु दिया गया है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि अभी तक नगरउटारी आई0टी0आई0 कॉलेज में छात्र–छात्राओं का शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था अभी तक आरंभ नहीं हो सकी है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त आई0टी0आई0 कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ कराना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में आंशिक मरम्मत के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गढवा को निदेश दिया गया है। आंशिक मरम्मत करवाते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–04/2017– 85 रॉची, दिनांक :– 19/01/2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–347 दिनांक–13.01.2017 के प्रसंग में 250 चकचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

(133)

श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–05 का प्रश्नोत्तर–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सोनाहातु प्रखण्ड के बाजार टांड खाता–95, प्लॉट–15, रकबा–11 डी0 जमीन का बंदोबस्ती अवैध रूप से श्री राम रतन जायसवाल, पिता–श्री जगदीश भगत, ग्राम–खैराचातर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो हाल मकान–मौजा–गोमयाडीह (बाजारटांड) थाना–सोनाहातु, जिला–राँची के नाम से कर दी गयी है ;		अस्वीकारात्मक। सोनाहातु प्रखंड के बाजार टांड खाता नं0–95, प्लॉट नं0–15 रकबा–11 डी0 जमीन की बंदोबस्ती (सलामी राशि 7700/– रूपये लेकर) श्री रामं रंतन जायसवाल, पिता–श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल, ग्राम–गोमयाडीह, थाना–सोनाहातु के नाम से दिनांक–30.11.1996 को बंदोबस्ती वाद सं0–50/96–97 द्वारा किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है जमीन पर निर्माण का विरोध वर्ष 1991–92 में स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था फिर भी पदाधिकारियों को मिली भगत से बजार टांड के जमीन की बंदोबस्ती वर्ष 2004–05 में कर दी गयी, जिसका अभिलेख संख्या–50/96–97 है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। दस्तावेज के अनुसार वाद सं0–01/91–92 द्वारा अतिक्रमण वाद चलाया गया था। उक्त वाद के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में अतिक्रमण अपीलवाद सं0–03आर15/91–92 दायर किया गया, जिसमें तत्कालीन अपर संमाहर्त्ता द्वारा दिनांक–27.03.1993 को पारित आदेश के आलोक में सलामी लेते हुए श्री राम रतन जायसवाल के नाम से वाद संख्या–50/96–97 द्वारा भूमि बंदोबस्ती की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित व्यक्ति को की गयी अवैध बंदोबस्ती रद्द करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त भूमि के बंदोबस्ती के प्रयोजन संबंधी जाँच की जा रही है। तदनुसार विधिसम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/स0भू0 वि0स0 (तारां0)– 01/2017 277/रा0 राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–266/वि0स0, दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री भानु प्रताप शाही, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 18 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य वर्ष 2008 में प्रारम्भ किया गया था, जो अभी तक अधुरा पड़ा है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य पूरा नहीं करने वाले एजेन्सी, संवेदक के उपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है ;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण एन0आर0एच0एम0 द्वारा स्वीकृत है । भवन का निर्माण कार्य उपायुक्त, गढ़वा द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, गढवा द्वारा योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसपर स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इस योजना हेतु कुल स्वीकृत राशि 318 लाख रुपए के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2010–11 तक सम्पूर्ण राशि सिविल सर्जन, गढ़वा को आवंटित की गई है । जिससे संवेदक को मात्र 150 लाख रुपए उपलब्ध कराया गया है तथा शेष 168 लाख रुपए सिविल सर्जन के खाते में जमा है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी एजेन्सी एवं संवेदक के उपर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 08 / 17– 160 स्वा0, राँची, दिनांक: 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 366 / वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

135

श्री प्रदीप यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि पोड़ैयाहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोड्डा एवं दुमका जिला के क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोड़ैयाहाट, उप स्वा0 केन्द्र बोहरा एवं उप स्वा0 केन्द्र मोहरा के भवन अत्यान्त ही दयनीय एवं जर्जर अवस्था में है,		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि जर्जर भवन के गिरने के भय से चिकित्साकों एवं रोगियों को हमेशा भवन गिरने का भय बना रहता है, इस कारण रोगियों का ईलाज खुले आसमान में होता है,		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अस्पताल भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यो ?		वर्त्तमान में गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखण्ड के देवडांड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं पोडैयाहाट प्रखण्ड में ही मानिकपुर में स्वास्थ्य उप केन्द्र के योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016–17 में दे दी जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोडैयाहाट का प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 05/17– 162 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 327/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

136

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.17 को सदन में पूछा जाने तारांकित
प्रश्न सं0–स–38 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के बी0पी0एल0 एवं 72 हजार आय वाले परिवारों को असाध्य बिमारी के उपचार के लिए सरकार के झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बिमारी उपचार योजना के तहत् अधिकतम 3 लाख रूपये तक की स्वीकृति होती है ;	मुख्यमंत्री गंभीर बिमारी उपचार योजना के तहत् गंभीर बिमारी के लिए 2.5 लाख, कैंसर के लिए 4 लाख, गुर्दा प्रत्यारोपन के लिए 5 लाख की अनुदान राशि दी जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित दोनों श्रेणी के लाभुकों को योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम ईलाज कराने के लिए चिन्हित अस्पताल में जाँच कराकर प्राक्कलन बनवाने के लिए आना जाना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का लाभ लेने वाले परिवार खासकर ग्रामीण क्षेत्र अशिक्षित के साथ आर्थिक रूप से इतने कमजोर है कि उनके पास संबंधित किसी भी अस्पताल तक आने जाने के लिए रूपये नहीं होते हैं, जिस कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पाते है। और समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है।	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0– 184 (13) दिनांक 17.07.15 द्वारा गंभीर बिमारियों से ग्रसित राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों एवं 72000/– रू0 तक वार्षिक आय वाले ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को त्वरित एवं सुगमतापूर्वक चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के स्थान पर सिविल सर्जन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) और (2) में वर्णित लाभुकों के लिए संबंधित अस्पताल तक आने जाने एवं प्रारंभिक जाँच में होने वाले खर्च के रूप में प्रतिरोगी कम से कम 25 हजार रूपये का राज्य के गरीब लोगों के लिए वित्तीय वर्ष 2017 में प्रावधान रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एम0ओ0यू0 अस्पताल में ईलाज स्टीमेट प्राप्त कर एवं सिविल सर्जन के आदेश के बाद कराया जाता है तो संबंधित अस्पताल द्वारा आने–जाने का खर्च वहन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–13/ वि0स0–07–02/2017 19(13) स्वा0/राँची/दिनांकः– 18-1-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 330/वि0स0 दिनांक 13.01.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

18.1.17

(शिव प्रसन्न राम)
सरकार के अवर सचिव।

137

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 36 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में सदर अस्पताल, मेदिनीनगर के मुख्य भवन में लिफ्ट अधिष्ठापित किया गया था, लेकिन 2 वर्ष व्यतित हो जाने के बाद भी उक्त लिफ्ट का परिचालन प्रारंभ नहीं किया जा सका है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि खण्ड– 1 में अधिष्ठापित लिफ्ट को चालु किये जाने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों ?		वस्तुतः सदर अस्पताल मेदिनीनगर में जेनरेटर का क्रय कर लिया गया है, जो संचालित है। प्रश्नाधीन लिफ्ट को एक सप्ताह में संचालित करा दिया जायगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 15 / 17– 163 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 337 / वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

श्री नागेन्द्र महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 13 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत सरिया प्रखंडाधीन बंधखारो, चिरूआॅ, चिचाकी एवं कुशमाडीह पंचायत के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा हेतु सरिया जाना पड़ता है, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;		अस्वीकारात्मक । वस्तुतः बंधखारो एवं चिचाकी अन्तर्गत बन्दखारो, चिरुआ एवं कुसमाडी अन्तर्गत कपिला स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है, जिसके माध्यम से उक्त पंचायत के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पंचायतों में से बंधखारो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने से बहुत बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सकेगी ;		आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुरुप गैर जनजातीय क्षेत्र में 30000 तथा जनजातीय क्षेत्र में 20000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जाना है । खंण्ड– 1 में वर्णित पंचायतों की कुल आबादी 23659 (बन्दखारो– 4400, चिरुआ– 8332, चिचाकी– 5500 तथा कुसमाडीह– 5427) है । जो सामुहिक रुप से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की पात्रता को पूर्ण नहीं करता है । ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना संभव नहीं है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–2 में वर्णित बंधखारो पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		उपर्युक्त खण्ड 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 02/17– 157 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 256/वि0स0, दिनांक– 12.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

डॉ0 अनिल मुरमू, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 42 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अमड़ापाड़ा प्रखण्ड के फतेहपुर गाँव में पिछले लगभग 5 वर्षो से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माणाधीन है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण तथा संचालन आरंभ नहीं करने के कारण क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा लाभ हेतु पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल या बिहार जाना पड़ता है ;		अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमड़ापाड़ा कार्यरत है, जिसके माध्यम से उक्त क्षेत्र के लोगो को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त केन्द्र फतेहपुर ग्राम से लगभग 3 कि0 मी0 की दुरी पर अवस्थति है। फतेहपुर ग्राम में स्वास्थ्य उप केन्द्र अवस्थित है जिसमें श्रीमती रेणु सिन्हा एवं श्रीमती सरिका मुर्मू, ए0एन0एम0 पदस्थापित है, जिसके माध्यम से क्षेत्र के लोगो को चिकित्सा सुविधा मुहेया कराई जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को पूरा कर चिकित्सा सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?		विभागीय पत्रांक 1245 दिनांक 09.12.2016 के द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ से विस्तृत प्रतिवेदन मंतव्य के साथ मांग की गई है। प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 17/17– 159 स्वा0, राँची, दिनांक: 19.01.17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 409/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

140

श्री अशोक कुमार, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–14 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय महागामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह रेफरल अस्पताल महागामा में चिकित्सकों के स्वीकृत पद आठ के विरूद्ध केवल तीन चिकित्सक पदस्थापित है, जबकि इस अस्पताल में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में मरीज ईलाज कराने आते हैं एवं प्रतिदिन दर्जनों महिलाओं का प्रसव के साथ दर्जनों ऑपरेशन भी किया जाता है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–सह–रेफरल अस्पताल, महागामा में तीन चिकित्सक पदस्थापित है एवं एक चिकित्सक प्रतिनियुक्त है। चिकित्सकों द्वारा संस्थान में प्रत्येक माह औसतन 2500 से 2800 मरीजों का ईलाज, 300 से 400 संस्थागत प्रसव एवं 20 से 22 सीजेरियन किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित अस्पताल में रक्त संग्रह केंद्र, एक्स–रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, जैनेरेटर जैसे आवश्यक मूलभूत सुविधा नहीं है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। संस्था में रक्त संग्रह केन्द्र संचालित है। एक्स–रे मशीन एवं अल्ट्रासांड मशीन उपलब्ध नहीं है। जेनरेटर अधिष्ठापित कर दी गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित अस्पताल में चिकित्सकों की कमी एवं आवश्यक उपकरणों के अभाव के कारण अधिकांश मरीजों को भागलपुर (बिहार) रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण ससमय ईलाज नहीं होने के कई मरीजों की जान भी चली जाती है ;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–सह–रेफरल अस्पताल, महागामा में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा संस्थान में प्रत्येक माह औसतन 2500 से 2800 मरीजों का ईलाज किया जाता है। 300 से 400 संस्थागत प्रसव एवं 20 से 22 सीजेरियन भी किया जाता है। केवल वैसे ही मरीजों को जिन्हें विशिष्ट चिकित्सा की आवश्यकता होती है, को अन्यत्र रेफर किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित अस्पताल में आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकों का पदस्थापन एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–सह–रेफरल अस्पताल, महागामा में पदस्थापित चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त चिकित्सकों के पदस्थापन एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0 स0–03–01/2017 98(3) राँची, दिनांक: 19.01.2017

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 259/वि0स0 दिनांक 12.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत रंजन 19/1/17

सरकार के अवर सचिव

141

श्री साधु चरण महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 20 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के चाण्डिल अनुमण्डलीय अस्पताल अधुरा बना पड़ा है, जिससे अनुमण्डल क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अस्पताल का शुरू नहीं होने के कारण चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा हेतु जमशेदपुर या राँची जाना पड़ता है जो काफी खर्चीला एवं कष्टकारी है ;		चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र के लोगो को अनुमण्डलीय अस्पताल चाण्डिल के पुराने भवन से बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। जटिल मरीजों को चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रेफर के पश्चात् सरकारी वाहन एम्बुलेंस से निःशुल्क एम0जी0एम0, अस्पताल पहुचाया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में चाण्डिल अनुमण्डलीय अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कराते हुए चालु करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?		विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्रांक 834 दिनांक 08. 09.2016 एवं विभागीय पत्रांक 202 दिनांक 26. 12.2016 द्वारा उपायुक्त, सरायकेला–खरसावा से प्रतिवेदन की मांग की गई है प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 09/17– 150 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 362/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

142

श्री आलमगीर आलम, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 15 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत पाकुड़ प्रखण्ड के चेंगाडांगा, जोगीगढ़िया कुमारपुर, रामचन्द्रपुर, बेलडांगा एवं उदयनारायणपुर ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के नये भवन का निर्माण वर्ष–2013 में कराया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः पाकुड़ जिलान्तर्गत पाकुड़ प्रखण्ड के चेंगाडांगा, जोगीगढ़िया, कुमारपुर, रामचन्द्रपुर एवं उदयनारायणपुर ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के नए भवन का निर्माण कराया गया है । बेलडंगा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण नहीं कराया गया है, परन्तु वह पुराने भवन में संचालित है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित ग्रामों के स्वास्थ्य उपकेन्द्र के नव निर्मित भवन में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, और वे बन्द पड़े है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । बेलडंगा के पुराने भवन में स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है, जिसके माध्यम से उक्त क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । शेष नवनिर्मित भवनों को शीघ्र संचालित कर उनके माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड एक में वर्णित ग्रामों के स्वास्थ्य उप केन्द्र में नव निर्मित भवन में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 04 / 17– 153 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 258 / वि0स0, दिनांक– 12.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

(143) 84 19.1.17

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–02 का उत्तर सामग्री –

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरकट्ठा प्रखंड में आई0टी0आई0(औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान) केन्द्र खोलने हेतु पंचायत–बेलकप्पी के ग्राम–बेलकप्पी में सरकारी जमीन उपलब्ध है एवं इससे संबंधित प्रस्ताव भी सरकार को भेजी गयी है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि बरकट्ठा प्रखंड में एक तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं रहने के कारण यहॉ के गरीब एवं मेघावी छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से वंचित रहना पड रहा है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित स्थान पर आई0टी0आई0(औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान) केन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हजारीबाग जिलान्तर्गत हजारीबाग सदर में एक सामान्य औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं एक महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है तथा वर्तमान शैक्षणिक सत्र से हजारीबाग जिलान्तर्गत औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरही एवं औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, चुरचू कार्यरत है। आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्तर पर आई0टी0आई0 की आवश्यकता के आकलन को ध्यान में रखते हुए एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखंड में नये औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पर सरकार विचार करेगी।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–03/2017– 84 रॉची, दिनांक :– 19/01/2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–344 दिनांक–13.01.2017 के प्रसंग में 250 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

144

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20-01-2017 को प्रस्तुत तारांकित प्रश्न संख्या –स–46 का उत्तर प्रतिवेदन–

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में आयुष, आयुर्वेदिक फार्मेसी और होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज है ?	स्वीकारात्मक
2-	क्या यह बात सही है, कि चाईबासा में स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और गिरिडीह में स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज और गुमला का स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज का भवन निर्माण अबतक अधूरा है ;	स्वीकारात्मक
3-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में आयुष, आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक कॉलेजो का भवन अर्द्धनिर्मित होने के अलावा समुचित मैन पावन की भी कमी है जिसके कारण नागरिकों को इन कॉलेजो का लाभ नहीं मिल पाता है;	स्वीकारात्मक
4-	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण एवं चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति तथा कार्य में कोताही बरतने वाले दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कदम उठाने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों का भवन निर्माण कार्य जारी है। विभागीय अधिसूचना सं0–282(20) दिनांक–15.09.2016 द्वारा आयुष चिकित्सा संवर्ग को झारखण्ड आयुष स्वास्थ्य सेवा धोषित कर दिया गया है। आयुष चिकित्सा की भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त नियमावली गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियमावली गठित होने के पश्चात नियमित नियुक्ति की जायेगी। इस कार्य में किसी भी पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा कोताही नहीं बरती गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 20/आयुष– वि0स0–01/17 26(20) राँची, दिनांक– 19-1-2017
प्रतिलिपि : अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 406 दिनांक– 13-01-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

तिवारी
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(145)

श्री नागेन्द्र महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 12 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के सरिया प्रखंडाधीन कोयरीडीह पंचायत अन्तर्गत कोयरीडीह ग्राम में बन्द पड़ी उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर हो चुका है ;		आंशिक स्वीकारात्मक । यह बात सही है कि कोयरीडीह स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन पुराना एवं जर्जर है, परन्तु उक्त स्वास्थ्य उप केन्द्र नियमित रुप से खुलता है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित उप–स्वास्थ्य केन्द्र बंद होने के कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है ;		अस्वीकारत्मक । कोयरीडीह स्वास्थ्य उपकेन्द्र में ए0एन0एम0 श्रीमती बसन्ती कुमारी कार्यरत है, जिनके द्वारा उक्त पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
3. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित उप–स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कर देने से बहुत बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होगी ;		ग्राम पंचायत, कोयरीडीह के ग्राम कोयरीडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की पात्रता आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुरुप पूरा नहीं करता है । इसलिए वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण उक्त स्थान पर संभव नहीं है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित जर्जर उप–स्वास्थ्य केन्द्र को पुनः निर्माण कराते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		जहाँ तक जर्जर भवन के स्थान पर पुनर्निर्माण का प्रश्न है, अगले वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्धता के आधार पर पुनर्निर्माण कराए जाने पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 03 / 17– 149 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 260 / वि0स0, दिनांक– 12.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

146

श्री शशि भूषण सामड़, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20-01-2017
को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स0–49 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि पं0 सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड व्यवसायिक केन्द्र होने के साथ– साथ काफी घनी आबादी का क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक। जिला मुख्यालय से लगभग 26 कि0मी0 की दूरी पर चाईबासा रांची मार्ग पर चक्रधरपुर प्रखण्ड मुख्यालय अवस्थित है। चक्रधरपुर अनुमंडल भी है। चक्रधरपुर की कुल जनसंख्या– 220065 है।
2-	क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर में सरकारी व निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम है, जहाँ सैकड़ों लोगों का ईलाज होता है ;	स्वीकारात्मक। चक्रधरपुर अनुमंडल के अन्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर संचालित है। अनुमंडल अस्पताल, चक्रधरपुर के अन्तर्गत 05 चिकित्सक, 56 ए0एन0एम0, 04 स्टॉफ नर्स, 02 फर्मासिस्ट एवं 04 प्रयोगशाला प्रावैधिक कार्यरत है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अबतक अनुमंडल अस्पताल, चक्रधरपुर में ओ0पी0डी0 में 30528 एवं आई0पी0डी0 में 4001 रोगियों का उपचार किया गया है।
3-	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में रक्त अधिकोष नहीं होने की वजह से लोगों को ईलाज हेतु रक्त के लिए भटकना पड़ता है और मरीज की रक्त के अभाव में मृत्यु भी हो जाती है ;	अस्वीकारात्मक। सितम्बर 2014 से अनुमण्डल अस्पताल, चक्रधरपुर अन्तर्गत रक्त भण्डारण ईकाई संचालित की जा रही है। अनुमंडल अस्पताल, चक्रधरपुर में आनेवाले मरीजों को आवश्यकतानुसार रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चक्रधरपुर में रक्त अधिकोष की स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-05/17 –2905 राँची, दिनांक– 19-01-17
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 405 दिनांक– 13-01-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/17.
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(147)

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–03 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के मौजा नगरपालिका चक्रधरपुर से संबंधित थाना संख्या–67, खाता संख्या–96, खेसरा संख्या–23, रकवा–114 डिसमील, बाबु हो के नाम से खतियान में दर्ज है ;		स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मौजा नगरपालिका चक्रधरपुर से संबंधित थाना संख्या–68, खाता संख्या–96, खेसरा संख्या–23, रकवा–1.14 डिसमील बाबु हो के नाम से खतियान में दर्ज है।
2.	क्या यह बात सही है कि आदिवासी समुदाय के इस जमीन पर गैर आदिवासियों (राजेन्द्र साहु, पिता–श्री मिश्रीलाल साहु, वार्ड संख्या–5, चक्रधरपुर एवं अन्य दो) का कब्जा है ;		स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि बाबु हो के उत्तराधिकारी श्री रेंगो गागराई ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता पोड़ाहाट चक्रधरपुर के कार्यालय में अवेध दखल हटाने हेतु शिकायत भी दर्ज कर रखी है ;		स्वीकारात्मक। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के कार्यालय में S.A.R. वाद संख्या–01/2010–11 दर्ज की गई है एवं सुनवाई चल रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त अवैध दखल पर कार्रवाई करते हुए रैयत के उत्तराधिकारी श्री रेंगो गागराई को दखल दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		न्यायालय के निर्णय के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–6/ वि0स0 (तारां0)– 09/2017 282/रा0 राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–263/वि0स0, दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0–11, प्रश्नोत्तर :–

क्र0 सं0	प्रश्न (145)	उत्तर
	श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0	श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड मुख्यालय के अचंल कार्यालय में पदस्थापित अमीन श्री इस्तेयाक अहमद विगत 10 वर्षो से एक ही स्थान पर कार्यरत है ?	श्री इस्तेयाक अहमद अंचल कार्यालय अनगड़ा में दिनांक–18.03.2009 से अमीन के पद पर कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में श्री अहमद के विरूद्ध भू–मापी से लेकर अन्य कई तरह के मामलों में अनियमितता के आरोप लगे है?	श्री अहमद के लम्बे समय से पदस्थापित रहने के कारण असंतोष के मद्देनजर उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार, उक्त अमीन को अंचल कार्यालय, अनगड़ा से स्थानान्तरित कर कार्रवाई करते हुए किसी अन्य अमीन को अंचल कार्यालय अनगड़ा में पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जिला स्थापना समिति की अगली बैठक में स्थानांतरण पर विचार की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–03 / अ0क्षे0स्था0(वि0स0ता0प्र0)–04 / 2017..291../ रा0, राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–341 / वि0स0 दिनांक–13.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड में Mother and Child Health Centre 3,50,00,000 रू0 एवं गोमिया प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साडम, गोमिया 1,15,57,000 रू0 की लागत से 5 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है, जिन्हें अभी तक चालू नहीं किया गया है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, पेटरवार के भवन में दिनांक 05.01.17 से चिकित्सा सुविधा बहाल कर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साड़म का भवन निर्माण कार्य उपायुक्त द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 वि0 विशेष प्रमण्डल बोकारो के द्वारा कराया जा रहा है। जिसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है, भवन हस्तगत होते ही चिकित्सा सुविधा बहाल कर दिया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अस्पतालों के चालू नहीं होने के कारण पेटरवार एवं गोमिया प्रखण्ड के आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पा रही है ;		मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, पेटरवार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेटरवार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोमिया एवं अनुमण्डलीय अस्पताल तेनुघाट से पेटरवार एवं गोमिया प्रखण्ड के आम जनमानस को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त अस्पतालों को चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साड़म में कुछ आवश्यक उपकरण अधिष्ठापित कराया जाना शेष है। जिसे पूर्ण करा के शीघ्र संचालित कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 01/17– 156 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 45/वि0स0, दिनांक– 07.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

150

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–09 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा अंचल एक वृहद राजस्व क्षेत्रफल वाला अंचल क्षेत्र है जिससे यहाँ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अंचल मुख्यालय आकर आये दिन राजस्व के कार्यों के निष्पादन कराने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;		स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निरसा में दो नवसृजित प्रखण्डों के तर्ज पर दो नयी अंचल सुजन करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपायुक्त, धनबाद द्वारा नवसृजित प्रखण्डों के तर्ज पर एग्यारकुण्ड एवं केलियासोल अंचल का सृजन संबंधी प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–5495, दिनांक–16.10.2015 के आलोक में प्रस्ताव प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात धनबाद जिलान्तर्गत नवसृजित प्रखण्डों के तर्ज पर एग्यारकुण्ड एवं केलियासोल अंचल के सृजन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–2/रा.स्था. (वि.स.तारां.)–11/2017...278.../रा., राँची, दिनांक–...19-01-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–340/वि.स., दिनांक– 13.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची /सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.1.17

सरकार के संयुक्त सचिव

(151) 87 19/01/2017

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–06 का उत्तर सामग्री –

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत बसंतराय प्रखंड अल्पसंख्यक बाहुल्य श्रेणी के अन्तर्गत आता है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि बसंतराय को वर्ष–2010 में प्रखंड का दर्जा मिला है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि बसंतराय प्रखंड अत्यंत ही पिछडा क्षेत्रों के अन्तर्गत आते है, जहॉ पर किसी तरह का प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के अलावे आई0टी0आई0 का अब तक निर्माण नहीं किया गया है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रखंड के शिक्षित युवाओं के लिए आई0टी0आई0 प्रशिक्षण केन्द्र प्रखंड स्तर पर खोलने पर विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गोड्डा जिलान्तर्गत औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुन्दरपहाडी (गोड्डा) एवं गोड्डा सदर में औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोड्डा (पी0पी0पी0 के अन्तर्गत ECL के द्वारा संचालित) है। इसके अतिरिक्त गोड्डा सदर में एक महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। आगामी वित्तीय वर्ष–2017–18 में राज्य स्तर पर आई0टी0आई0 की आवश्यकता के आकलन को ध्यान में रखते हुए एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर गोड्डा जिलान्तर्गत बसंतराय प्रखंड में नये औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पर सरकार विचार करेगी।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–06/2017– 87 रॉची, दिनांक :– 19/01/2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–345 दिनांक–13.01.2017 के प्रसंग में 250 चकचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

(152)

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 29 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखण्ड अन्तर्गत चुगलामो पंचायत के ग्राम–तुर्कबाद बाजारटाँड़ पर 10 बेड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल बनाने हेतु सरकारी जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम से खाता सं0 187, प्लॉट सं0 251/4055, कुल रकबा–1.01 एकड़ दर्ज है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुसार 30000 की आबादी आवश्यक है। उक्त पंचायत की आबादी लगभग 12503 है, फलस्वरूप मानक के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति संभंव नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि ग्राम–तुर्कबाद की दूरी प्रखण्ड–बरकट्ठा से 20–25 कि0मी0 एवं बरही प्रखण्ड से 25–30 कि0 मी0 है। ग्राम–तुर्कबाद में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण यहाँ के ग्रामीणों को ईलाज में काफी कठिनाईयाँ होती है ;		स्वास्थ्य उप केन्द्र चुगलामों जो तुर्कबाद से एक कि0 मी0 की दूरी पर अवस्थित है। जिसके द्वारा आस पास के लोगो को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कंडिका – 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 12/17– 152 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 357/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

153

श्री रबीन्द्रनाथ महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–05 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के सभी स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सदर अस्पताल में स्वीकृत पद के अनुसार आधे से ज्यादा चिकित्सकों का पद रिक्त है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चिकित्सकों के कमी के कारण मरीजों को सभी स्वास्थ्य सुविधाऐं नहीं मिल पाती है, और काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। पदस्थापित चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वीकृत पद के अनुसार चिकित्सकों को पदस्थापित कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	राज्य में चिकित्सकों की काफी कमी है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग को 817 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित की गयी है। चिकित्सकों की नियुक्ति/उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0 स0–03–02/2017 99(3) राँची, दिनांक: 19.01-2017

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 329/वि0स0 दिनांक 13.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत कुमार

सरकार के अवर सचिव

श्रीमती जोबा मांझी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 27 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत गोईलकेरा प्रखण्ड के बड़ेला गाँव में संवेदक के द्वारा "स्वास्थ्य उप केन्द्र" का निर्माण कराया जा रहा है ;		स्वीकारात्मक। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोईलकेरा के प्रतिवेदनुसार गोईलकेरा प्रखण्ड के बड़ेला गाँव में संवेदक श्री बंसत कुमार मनोहरपुर (शंकुबाबा ट्रेडर्स) के द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। फिनिशिंग का कार्य बाकी है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त निमार्ण कार्य में गुणवता की कमी होने के साथ ही मजदूरी का भुगतान भी नियमित नहीं की जा रही है ;		अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–142 दिनांक 18.01.2017 द्वारा सचिव, भवन निर्माण विभाग को मजदुरी भुगतान एवं गुणवत्ता का जाँच हेतु प्रतिवेदन मांगा गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार "स्वास्थ्य उप केन्द्र" का निर्माण कार्य में गुणवता पारदर्शिता एवं मजदूरी का भुगतान नियमित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 11/17– 164 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 361/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

155

श्री ताला मराण्डी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 37 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (रेफरल अस्पताल) में मूलभूत संरचना, उपस्कर एवं महिला चिकित्सक का आभाव है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त संसाधनों एवं महिला चिकित्सक के अभाव में गरीब ग्रामीण गर्भवती एवं रोगी महिलाओं को चिकित्सीय जाँच हेतु माहागामा एवं गोड्डा की लम्बी यात्रा करनी पड़ती है ;		अस्वीकरात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त अस्पताल की चाहरदीवारी निर्माण, रोगियों के लिए Ultra Sound मशीन, Ambulance की उपलब्धता सहित एवं महिला चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?		वस्तुतः बोआरीजोर प्रखण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (रेफरल अस्पताल) में 08 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 03 विशेषज्ञ चिकित्सक के विरूद्ध 04 चिकित्सक, 03 परिचारिका श्रेणी ए एवं 03 ए0एन0एम0 पदस्थापित है जिनके द्वारा अस्पताल में चिकित्सीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है। महिला चिकित्सक का पद रिक्त है जिसके पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 16 / 17– 158 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 334 / वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

(156)

श्री जगरनाथ महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.17 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित

प्रश्न सं0–स–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जगरनाथ महतो, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स, राँची में 10 (दस) अक्टूबर 2002 से लिफ्टमेन के रूप में (सात) कर्मी कार्यरत थे ;	वर्ष 2002 से लिफ्ट का संचालन विद्युत विभाग द्वारा किया जाता था एवं लिफ्ट चालकों की नियुक्ति एवं भुगतान भी विद्युत विभाग द्वारा किया जाता था।
2. क्या यह बात सही है कि 27.04.2006 के प्रभाव से दैनिक वेतन भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई थी ;	रिम्स के ज्ञापांक 4474 दिनांक 20.07.2006 के द्वारा नौ लिफ्ट चालकों को दिनांक 27.04.2006 से वेतन भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई ।
3. क्या यह बात सही है कि उस दैनिक मजदूरों को 2 (दो) साल से वेतन नहीं दिया गया है ;	विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, धुर्वा, राँची द्वारा लिफ्ट की मरम्मत एवं संपोषण का कार्य दिसम्बर, 2014 से किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्रांक 1794 दिनांक 16.05.2015 के द्वारा विद्युत विभाग को रिम्स में कार्यरत लिफ्ट मैन को अपने अधीन रख वेतन की व्यवस्था करने हेतु कहा गया। शासी परिषद की 42वीं बैठक में वेतन भुगतान के निर्णय हेतु समिति का गठन किया गया एवं समिति का प्रतिवेदन अगामी शासी परिषद की बैठक में रखा जायेगा।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दैनिक कर्मी का वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लिफ्ट मैन के द्वारा माननीय उच्च नयालय में मुकदमा (केस सं0– WP/0000743/2016) दायर किया गया है जो लंबित है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–11 / रिम्स (वि0स0)–05–01 / 2017 22 (11) स्वा0 / राँची / दिनांकः– 19/01/2017

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 46 दिनांक 07.01.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

19.1.17

सरकार के अवर सचिव।

157

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.17 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित
प्रश्न सं0–स–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय सदर अस्पताल परिसर अन्तर्गत ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास एवं शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मचारी हेतु भवन छः वर्षो से बनकर तैयार है ,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि ए0एन0एम0 प्रशिक्षण देनेवाले शिक्षक एवं शिक्षेत्तर कर्मी का पदस्थापन नहीं होने तथा आधारभूत संरचना की कमी के कारण आजतक पढ़ाई प्रारंभ नहीं की जा सकी है, जिसकी माँग वर्षो से होते आ रही है ,	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि जिलान्तर्गत सदर अस्पताल में नेत्र चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा रेडियोलोजिस्ट का पदस्थापन नहीं होने से स्थानीय आमजन को कठिनाईयों को सामना करना पड़ रहा है ,	स्वीकारात्मक। नेत्र चिकित्सक एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ पदस्थापित हैं।
4. क्या यह बात सही है कि वर्षो पूर्व मनोचिकित्सालय की स्थापना के बावजूद मनोचिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया जा सका है ,	स्वीकारात्मक।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ए0एन0एम0 प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कराने हेतु शिक्षक एवं शिक्षेत्तर कर्मी का पदस्थापन तथा खण्ड (3) व (4) में वर्णित विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नेत्र चिकित्सक एवं अन्य पदों पर चिकित्सक एवं ए0एन0एम0 शिक्षेत्तर कर्मियों की नियुक्ति/पदस्थापन करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–10/ क्यू (वि0स0)–01–02/2017 10(10) स्वा0/राँची/दिनांकः– 19/1/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 324 दिनांक 13.01.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

19/01/17

सरकार के उप सचिव।

158

डॉ0 अनिल मुरमू, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–44 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मेरे विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत चारों प्रखण्ड क्रमशः गोपिकांदर, अमझापाड़ा, लिट्टीपाड़ा तथा हिरणपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शामिल चिकित्सक नहीं रहने के कारण क्षेत्र की महिलाओं को ईलाज कराने में काफी असुविधा होती है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। उपरोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों के द्वारा रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है जिसमें महिला रोगी भी शामिल है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन चारों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने एवं महिला चिकित्सकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में चिकित्सक विशेषतः महिला चिकित्सक की काफी कमी है। चिकित्सक/महिला चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0 स0–03–03/2017 100 (3) राँची, दिनांकः 19.01-2017

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 407/वि0स0 दिनांक 13.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के अवर सचिव

(159)

श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0–04, प्रश्नोत्तर :–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0	श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली अंचल निरीक्षक विगत 18 वर्षों से लगातार एक ही प्रखण्ड में कार्यरत है, जिसके विरूद्ध लगातार जन शिकायत विभाग को प्राप्त है ?	श्री मदन मोहन माली अंचल कार्यालय सिल्ली में अंचल निरीक्षक के पद पर लगभग 8(आठ) वर्ष (दिनांक–27.02.2009 से) कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में इनका स्थानांतरण होने के बावजूद ये अबतक सिल्ली प्रखण्ड में ही कार्यरत है ?	विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–5461, दिनांक–06.10.2016 द्वारा श्री मदन मोहन माली, अंचल निरीक्षक, सिल्ली को स्थानांतरित करते हुए पथरगामा अंचल, जिला गोड्डा में पदस्थापित किया गया है, जिसके अनुपालन में अंचल कार्यालय सिल्ली के पत्रांक–23, दिनांक–17.01.2017 द्वारा विरमित कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार, उक्त अंचल निरीक्षक को प्राप्त जनशिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्थानांतरित अंचल निरीक्षक का पदस्थापन सिल्ली प्रखण्ड में करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–03 / अ0क्षे0स्था0(वि0स0ता0प्र0)–05 / 2017..292../ रा0, राँची, दिनांक–19-01-17

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–265 / वि0स0 दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17
सरकार के संयुक्त सचिव।

(160)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 08 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खेलारी प्रखण्ड अन्तर्गत मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में कोनका, लपरा तथा नावाडीह में स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन का निर्माण पाँच वर्ष कराया गया है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य उप केन्द्र देख–भाल के अभाव में रूप में तबदील हो चुका है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र के चारों तरफ जंगल–झाड़ को गये है ;		अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मति तथा चिकित्सक तथा कर्मचारी को पदस्थापित कर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करना चाहती है यदि हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह कि प्रश्नाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र, कोनका में लखिया कुमारी, ए0एन0एम0, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, लपरा में मीना कुमारी, ए0एन0एम0 एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र, नावाडीह में सिंटू कुमार, ए0एन0एम0 पदस्थापित है। उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में डा0 मुकेश कुमार मिश्रा की प्रतिनियुक्त हैं जो सप्ताह में एक दिन जिनके द्वारा मरीजों का उपचार किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 07/17– 155 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 326/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

(161)

श्री ताला मराण्डी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 35 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
1. क्या यह बात सही है कि साहिबगंज जिला के तालझारी प्रखण्ड स्थित महाराजपुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण विभाग द्वारा 1 करोड़, 22 लाख की लागत से कराया जा रहा है, जो चार वर्षो से अधूरा पड़ा हुआ है जिससे ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ;		आंशिक स्वीकारात्मक । तालझारी प्रखण्ड स्थित महाराजपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण एम0एस0डी0पी0 योजना (कल्याण विभाग की योजना) के तहत कराया जा रहा है, जिसका मुख्य भवन (अस्पताल भवन, चिकित्सक आवास एवं नर्स आवास) पूर्ण एवं हस्तगत है । उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ0 रंजन कुमार सप्ताह में दो दिन (बुधवार एवं शुक्रवार) को चिकित्सीय कार्य सम्पादित करते हैं । साथ ही, दो ए0एन0एम0 श्रीमती किशोरी सिन्हा (नियमित) एवं श्रीमती संगीता कुमारी (अनुबंध) पदस्थापित है, जिसके माध्यम से नियमित रुप से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । उक्त योजना के कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, साहेबगंज ने अपने पत्रांक– 723 दिनांक 18.11.16 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि स्वास्थ्य केन्द्र का शेष कार्य यथा– चतुर्थवर्गीय आवास, पारामेडिकल आवास, गैरेज, बाउण्डरी आदि वर्ष 2012 से विभागीय स्तर से कार्य बन्द होने के कारण पूर्ण नहीं कराया जा सका है । वर्त्तमान में अवशेष भाग का प्राक्कलन गठित किया जा रहा है ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महाराजपुर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे भवन का निर्माण कार्य कराने एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था के साथ–साथ चिकित्सक, कर्मियों की पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		चूँकि योजना कल्याण विभाग से संबंधित है अतएव अवशेष कार्य उक्त विभाग द्वारा ही कराया जाएगा । जहॉ तक समुचित चिकित्सा व्यवस्था का प्रश्न है, तो उपर्युक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 14/17– 151 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 335/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

162

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय सदस्य, झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक–20.01.2017 को सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–विधि–02 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि वर्ष –2005–2016 के बीच राज्य के सुप्रीम कार्ट में चल रहे मुकदमें में विधि विभाग द्वारा वकीलों को सलाना औसत एक करोड़ रुपये का भुगतान करता है पर उसे इसके परिणामों की जानकारी नहीं है;		आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष –2005–2016 के बीच राज्य के सुप्रीम कार्ट में चल रहे मुकदमें में विधि विभाग द्वारा वकीलों को सलाना औसत एक करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। जहाँ तक परिणामों की जानकारी का प्रश्न है यह सीधे विधि विभाग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि किसी भी विभाग द्वारा कानुनी लड़ाई के परिणाम की जानकारी विधि विभाग को नहीं दी जाती है;		स्वीकारात्मक । कंडिका–(1) के उत्तर प्रतिवेदन में सन्निहित है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष, 2016 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमें की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं का नया पैनल तैयार किया गया है और उनमें से किसी भी अधिवक्ता को भुतान नहीं किया गया है,;		आंशिक स्वीकारात्मक। विधि विभाग द्वारा वर्ष, 2016 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमें की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं का नया पैनल तैयार किया गया है तथा वर्ष, 2016 में नियुक्त जिन अधिवक्ताओं द्वारा विपत्र समर्पित किया गया है, उनका भुगतान सम्यक जाँच के पश्चात् नियमानुसार किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाहती है कि सभी विभाग अपने मुकदमें के परिणाम की अद्यतन सूचना विधि विभाग को उपलब्ध करायें यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ;		प्रत्येक बुधवार को विधि विभाग में अन्य विभागों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक आहूत की जाती है जिसमें विभागों से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा की जाती है। उक्त बैठक में सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों को वादों के परिणाम संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग

ज्ञापांक–बी0/विधि–वि0स0प्र0–02/2017– 149 /जे0, राँची, दिनांक– 19 जनवरी, 2017.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–411, दिनांक–13.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(दिनेश कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

163

श्री राज सिन्हा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 30 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में अस्पताल के नाम पर एक मात्र PMCH अस्पताल है जबकि एक भी सदर अस्पताल नहीं है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला सदर अस्पताल के सभी मानक को पूरा करता है ;		स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल नहीं होने से आमजनों को ईलाज में काफी कठिनाईयाँ का सामना करना पड़ता है ;		अस्वीकारात्मक। पी0एम0सी0एच0, धनबाद द्वारा समुचित रूप में आमजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार धनबाद जिला मुख्यालय में एक सदर अस्पताल खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		धनबाद जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल की स्थापना के निमित वर्ष 2008–09 में योजना की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु भूमि अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण का कार्य लम्बित रहा। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् वर्ष 2012–13 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–248(6) ब दिनांक 25.03.2013 के द्वारा कुल 5,37,57,300/– (पॉच करोड़ सैंतीस लाख संतावन हजार तीन सौ) रूपये की लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण है, कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 13/17– 148 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.01.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 358/वि0स0, दिनांक– 13.01.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव ।

विनय

(164)

श्री जगरन्नाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0–01, प्रश्नोत्तर :–

क्र0 सं0	प्रश्न		उत्तर
	श्री जगरन्नाथ महतो, माननीय स0वि0स0		श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि जिला–गिरिडीह थाना–मुफस्सिल, ग्राम–कोतवालडीह, टोला –ठकुइयाटाँड अन्तर्गत खाता न0–45 प्लॉट नं0–666, 683 एवं 684 कुल रकवा–0.76 एकड़ भूमि सर्वे खतियाान धारी शुखु माँझी के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि पर नंदप्रभा ट्रस्ट गिरिडीह ने कब्जा कर रखा है;		गिरिडीह जिला के मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत मौजा केतवालडीह टोला–ढकोइयाटांड के खाता नं0–45 थाना नं0–215, प्लॉट 666, 683 एवं 684 कुल रकवा–0.76 एकड़ भूमि के संबंध में उपायुक्त, गिरिडीह के अनुसार भूमि सर्वे खतियान में नाम के स्थान पर फटा हुआ है एवं माँझी अंकित है इस संबंध में बन्दोबस्त पदा0 हजारीबाग से पत्राचार किया गया है। सन् 1936 में अनिबंधित हुकूमनामा द्वारा उक्त भूमि तालेश्वर तुरी के पूर्वजों के नाम से प्राप्त है। उपायुक्त, गिरिडीह के अनुसार खाता नं0–45, प्लॉट 666, रकवा–0.63 एकड़ नंदप्रभा ट्रस्ट को मंगल तुरी के पुत्रों से केवाला द्वारा प्राप्त है। प्लॉट नं0–683 रकवा– 0.02 एकड़ एवं प्लॉट नं0–684, रकवा– 0.11 एकड़ तालेश्वर तुरी एवं अन्य का मकान एवं बाड़ी है।
2.	क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी गिरिडीह के जाँच प्रतिवेदन में अनुसूचित जनजाति के जमीन की अवैध हस्तांतरण पाया गया है तथा उक्त भूमि के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 ए एवं 71 बी0 के तहत भू–वापसी एवं दखल–कब्जा रैयत को दिलाने की अनुशंसा की गई है।		अचंल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा अनुसूचित जनजाति की भूमि का अवैध हस्तान्तरण होने तथा उसका भू–वापसी की अनुशंसा की गई है। पुनः अंचल अधिकारी से विस्तृत स्थल जाँच कराई गई अंचल अधिकारी, के अनुसार कुलेश्वर मांझी वगै0 के पूर्वजों को अनिबंधित हुकूमनामा द्वारा सन् 1932 में चम्पा नगर थाना पीरटांड में खाता नं0–22/05 प्लॉट नं0–12 रकवा 03.35 एकड़ भूमि प्राप्त है। जिसमें वे 1932 से निवास कर रहे है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या उक्त भूमि पर रैयत को दखल–कब्जा दिलाना चाहती है, तो कब तक, नही तो क्यों?		नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–06 / वि0स0 (तारां0)–03 / 2017– 229 / रा0, राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–43 / वि0स0 दिनांक–07.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17
सरकार के संयुक्त सचिव।